



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 624 राँची, गुरुवार, 27 आश्विन, 1945 (श०)
19 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

25 अगस्त, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-858/2014 का.-4825--श्री अनुप किशोर शरण, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-979/गो०, दिनांक 12.06.2004 द्वारा अनैतिक एवं जघन्य अपराध में श्री शरण की संलिप्तता से संबंधित सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया कि वे लापता हैं एवं उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं हो पा रही है।

उक्त आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय आदेश सं०-3149, दिनांक 12.06.2004 द्वारा श्री शरण को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय पलामू निर्धारित किया गया। मुख्यालय में योगदान नहीं देने के उपरांत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री शरण को मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में उनके द्वारा दिनांक 22.04.2006 को मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

श्री शरण के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप प्रपत्र-‘क’ गठन किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध दिनांक 12.06.2004 से अनाधिकृत अनुपस्थिति, अनैतिक देह व्यापार, लीज बन्दोबस्ती की भूमि का दाखिल खारिज किया जाना, विशेष विनियमन पदाधिकारी की शक्ति प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत तौर पर एवं मन्त्री के माध्यम से पैरवी करने एवं निलंबित अवधि में मुख्यालय में योगदान नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-2597 दिनांक 25.05.2006 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री शरण द्वारा विभाग में आवेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 16.05.2005 को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सरेंडर किया गया था तथा दिनांक 31.03.2006 को जमानत पर रिहा होकर आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमंडल में योगदान दिया गया। साथ ही, प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 12.06.2004 से 16.05.2005 तक ये चिकित्सारत थे। इस अवधि की जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया। श्री शरण से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-6070, दिनांक 21.12.2006 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-113 दिनांक 30.11.2007 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी श्री शरण के विरुद्ध विशेष विनियमन पदाधिकारी की शक्ति प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत तौर पर एवं माननीय मंत्री के माध्यम से पैरवी करने संबंधी आरोप को छोड़कर सभी आरोप प्रमाणित पाया गया।

श्री शरण के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त उन्हें सेवा से हटाये जाने के प्रस्तावित दण्ड पर निर्णय लेने के पूर्व न्यायालय में लंबित वाद पर अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

संबंधित मामले में श्री अनुप किशोर शरण एवं अन्य के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, राँची के न्यायालय में दर्ज जी०आर० वाद सं०-1939/2004 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2009 को पारित न्यायादेश की प्रति श्री शरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त न्यायादेश में अभियुक्त श्री शरण को देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

मामले की समीक्षोपरांत पूर्व में प्रस्तावित दण्ड संशोधित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1684, दिनांक 29.03.2011 द्वारा श्री शरण के विरुद्ध पाँच वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं प्रोन्नति देय होने पर अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा, का दण्ड अधिरोपित किया गया।

महालेखाकार, झारखण्ड के पत्रांक-682, दिनांक 07.11.2021 द्वारा श्री शरण के 300 दिनों के अव्यवहत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के क्रम में इनके निलंबन अवधि दिनांक 12.06.2004 से 20.12.2006 तक के नियमितीकरण के संबंध में आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2917, दिनांक 06.05.2022 द्वारा संचिका में रक्षित कागजातों के आधार पर प्रमंडलीय आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची एवं पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर से श्री शरण के निलंबन अवधि की विवरण भेजते हुए मंतव्य सहित प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के पत्रांक-1706, दिनांक 07.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री शरण को दिनांक 22.04.2006 से 30.04.2006 तक का एवं माह मई 2006 एवं जून 2006 का जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर द्वारा किया गया है तथा आयुक्त कार्यालय, द०छो० प्रमंडल, राँची के पत्रांक-381/स्था0, दिनांक 16.02.2023 द्वारा श्री शरण के निलंबन अवधि दिनांक 05.06.2006 से 20.12.2006 तक का निर्वाह भत्ता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री शरण दिनांक 12.06.2004 से 20.12.2006 तक निलंबित रहे हैं तथा इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-1684, दिनांक 29.03.2011 द्वारा दण्ड भी अधिरोपित किया गया है ।

अतः श्री अनुप किशोर शरण, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सम्प्रति-सेवानिवृत्त के निलंबन अवधि दिनांक 12.06.2004 से 20.12.2006 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11(7) के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि इन्हें निलंबन अवधि में पूर्व में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
